हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट में 809 सेवाएं शामिल, विफलता पर कार्रवाई

कैबिनेट सचिवालय के अधिकारियों को हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन की कार्यप्रणाली बताते मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ● डीपीआर

राज्य ब्यूरो, जागरण ● चंडीगढ़ : कैबिनेट सचिवालय के अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल में कैबिनेट सचिवालय के विशेष सचिव केशव कुमार पाठक, अतिरिक्त सचिव सौरभ कुमार तिवारी, उप निदेशक अंशुमान कामिला तथा प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के अवर-सचिव भुवनेंद्र सिंह शामिल रहे। आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने प्रतिनिधिमंडल को राज्य में सेवा के अधिकार आयोग के अंतर्गत दी जाने वाली सेवाओं की जानकारी दी और बताया कि यहां आटो अपील सिस्टम से काम किया जाता है।

मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने बताया कि हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट, 2014 के तहत वर्तमान में 809 नागरिक-केंद्रित सेवाएं अधिसूचित की जा चुकी हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सेवाएं देने में विफल रहने पर दंडात्मक कार्रवाई की ठोस व्यवस्था लागू की गई है, और भविष्य में अधिक सेवाओं को आयोग के अधिकार क्षेत्र में शामिल करने की दिशा में कार्य जारी है।

चंडीगढ़ में कैबिनेट सचिवालय के प्रतिनिधिमंडल ने जाना हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन की पूरी कार्यप्रणाली

इस अवसर पर हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट 2014 के प्रभावी क्रियान्वयन, शासन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सुगमता बढ़ाने, अनुपालनों को कम करने तथा नियमों को सरल और नागरिकोन्मुख बनाने के उपायों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस पहल का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक दक्ष और कम जटिल बनाकर नागरिकों को त्वरित, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना है।

मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने आयोग की कार्यप्रणाली, कानूनी ढांचे, शिकायत निवारण तंत्र तथा डिजिटल पहलों जैसे आनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम, आस डैशबोर्ड और आटो-अपील व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया की आटो अपील सिस्टम एक ऐसी प्रणाली है जो अधिसूचित सेवाओं के समय पर वितरण को सुनिश्चित करती है। यदि कोई सेवा समय-सीमा के भीतर पूरी नहीं होती है, तो यह सिस्टम आवेदक की ओर से स्वचालित रूप से एक अपील दायर करता है।